मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन,भोपाल-462004

क्रमांक-559/882/2020/20-3 भोपाल, दि0 18/8/2020

प्रति,

सचिव
सी0बी0एस0ई0
नई दिल्ली।

विषयः- अशासकीय संस्था को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बाबत्।

राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय संस्था-**बिरला ओपन माइन्डस इंटरनेशनल स्कूल ग्वालियर, जिला-ग्वालियर, म0प्र0** को **सी0बी0एस0ई0** नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु *अनापत्ति प्रमाण* पत्र निम्नलिखित शर्तो के आधार पर प्रदान किया जाता हैः-

(1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी **मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017** में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।

(2) विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय की प्रबंधन समिति में संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण तथा उनके द्वारा नामांकित एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में नामांकित करना होगा तथा प्रबंधन समिति की बैठकों में शासकीय सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(3) संस्था द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रकिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क होने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा।

(4) संस्था विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान, छात्रावास भवन की सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखा जाये।

(5) संस्था द्वारा प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेलो आदि के आयोजन में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान की जावेगी।

(6) निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

निरन्तर...2

PRINCIPAL
BIRLA OPEN MINDS INTERNATIONAL SCHOOL
GWALIOR

MANAGER
BIRLA OPEN MINDS INTERNATIONAL SCHOOL
GWALIOR

(7) छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तके एवं लेखन सामग्री खुले बाजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से क्रय करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

(8) संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस भेजने के लिये परिवहन विभाग व्दारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एल0पी0जी0 आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।

(9) शिक्षण संस्था में मान0 उच्चतम न्यायालय व्दारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था की जाएगी तथा इस संबंध में भारत सरकार व्दारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन भी करना होगा।

(10) छात्रों की सुरक्षा तथा परिवहन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग व्दारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

(11) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन व्दारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेगी।

(12) संस्था के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग व्दारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।

(13) विद्यालय प्रबंधन विद्यालय में प्रवेश के लिये बच्चों तथा माता-पिता अथवा अभिभावकों को किसी प्रकार भी प्रकार की स्क्रीनिंग प्रक्रिया नही अपनाएगा।

(14) संबंधित विद्यालय व्दारा तैयार शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक अमले की सेवा शर्ते जो कि राज्य शासन के समरूप होनी चाहिए के पालन न होने की स्थिति में संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम होंगे।

(15) सम्यक निरीक्षण के पश्चात एक वार मान्यता प्रदान कर दिये जाने पर सोसायटी/ट्रस्ट मान्यता के समय दावाकृत किन्ही भी मापदण्डों को परिवर्तित नही करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय स्कूल परिसर का निरीक्षण कर सकते है, यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि सोसायटी/ट्रस्ट किन्ही मापदण्डों का पालन नही कर रहा है तो संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को मान्यता नियम, 2017 के नियम-11 के उप नियम-(1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का.....

निरन्तर....3

PRINCIPAL
BIRLA OPEN MINDS INTERNATIONAL SCHOOL
GWALIOR

MANAGER
BIRLA OPEN MINDS INTERNATIONAL SCHOOL
GWALIOR

अनुसरण करते हुए स्कूल की मान्यता निलंबित करने और पश्चातवर्ति इसे वापिस लेने की शक्ति होगी।

2/ उपर्युक्तानुसार शर्तो का पालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

17/8/20

(के0के0द्विवेदी)
उप सचिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0 कमांक-560/882/2020/20-3 भोपाल, दि0 18/8/2020

प्रतिलिपिः-

(1) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म0प्र0 भोपाल।
(2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल।
(3) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग ....., म0प्र0
(4) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-ग्वालियर, म0प्र0
(5) विशेष सहायक, मान0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
(6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था-बिरला ओपन माइन्डस इंटरनेशनल स्कूल ग्वालियर, जिला-ग्वालियर, म0प्र0
(7) फोल्डर प्रति

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

17/8/20

उप सचिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

MANAGER
BIRLA OPEN MINDS INTERNATIONAL SCHOOL
GWALIOR

PRINCIPAL
BIRLA OPEN MINDS INTERNATIONAL SCHOOL
GWALIOR

CERTIFICATE

क्रमांक/CERT10229/2020/NOCR2410048 दिनांक : 27-06-2023

It is hereby certified that the Recognition of School BIRLA OPEN MINDS INTERNATIONAL SCHOOL, situated at DHANELI CHITORA ROAD BADA GAON MORAR, District GWALIOR in the state of Madhya Pradesh bearing UDISE Code No. 23040410005 is hereby extended, for the purpose of Affiliation with the for Renew till 2024-25 under the MP State Recognition Rule (मान्यता नियम) 2017 on following terms and conditions -

1. School should admit students only up to the level for which recognition is granted. If School is found violating rules then Department is viable to take any action, including Cancellation of Recognition of School.
2. Latest Recognition Certificate of School should be displayed in School Notice Board and Principal Room.
3. School Principal/Director and Teachers are not allowed to associate with any Political groups Also, school should not allow their students to participate in any political activities during school hours.
4. School has to safely keep and maintain all accounts and records of students and staff, the same can be inspected by the departmental officials any time.
5. "Parent-Teacher Association" should be formed to ensure participation of parents of students studying in the school.
6. The school should strive for making continuous efforts to get best academic quality criteria. During each three year period, all teachers should be trained at least once in their respective teaching subjects.
7. Once approved, after due inspection, the Society/Trust will not change any of the parameters claimed at the time of recognition. School Education Department officials can inspect school premises at any time. During inspection, if Society/Trust is found not following declared standards, then Divisional Joint Director can act as given in sub-rule (1) of rule 11, and can suspend school's accreditation.
8. If School is not found to follow conditions and responsibilities given under Rule 5 and 9 as well as instructions and guidance issued by Department from time to time, the undersigned will have the power to suspend the school's recognition on the basis of investigation.
9. In case of any Explanation Call, if the reply received from Society/Trust is not found to be satisfactory, then after giving last hearing opportunity, the school's recognition can be canceled.
10. Upon withdrawal of recognition, Security Fee deposited will be fully or partly, as specified in the order, will be seized.
11. It will be mandatory to get affiliation with the Central Board Secondary Education, and follow all norms as given in Act/ Laws.
12. In case of any dispute, the jurisdiction of the Court shall be at Bhopal.
13. School should strictly follow Fee Regulation Act published by School Education Department, Govt. of MP – 'मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियम) अधिनियम - क्र. एफ-37-4-2017-20-3) published as on 26 June, 2018.

Digitally Signed By DEEPAK KUMAR PANDEY
(GWALIOR)
Date : 27-Jun-2023 14:10:10 IST

संभागीय संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण,
मध्यप्रदेश